सामाजिक न्याय केन्द्र

चिंतन बेठक -- २

प्रदान संस्था केम्पर्स केसला भोपाल

१६ से १८ मई २०१४

16 मई 2014

दिन १

१६ मई को सामाजिक न्याय केन्द्र की तीन दिवसीय चिंतन सभाका आयोजन एम.पी.के जिल्ला होशंगाबाद वि.ख. इटारसी ग्राम सुखतवाके **प्रदान संस्था केम्पस** स्थान पर आयोजित किया गया | इसमें कुल ५५ लोग एम.पी.,गुजरात, छतीसगढ़, इत्यादि राज्य शामिल है |

चिंतन सभा के उद्देश्य :

१ चिंतन सभाका हेतु है की हम एक-दुसरे के कामों को समझे | सी.एस.जे.के प्रति अपने उत्तरदायित्व एवं समझ को विस्तारित करें |

२ एम.आई.एस मोनिटरिंग इन्फोर्मसन सिस्टम को सुचारू रूपसे लागू करनाने हेतु इसकी समज बनाना |

३ नए बिल,लेटेस्ट जजमेंट ,क़ानूनी संशोधन के बारेमें विचारविमर्श |

१ हमारे आस-पास के कार्यो को जानना |

२ न्याय पध्धति में होने वाले परिवर्तन को समझना |

३ नये-नये जजमेंट हो रहे है उसे समझना |

गतिविधि-१

सामाजिक न्याय केन्द्र के सिध्धांतो को समझने के लिए पूरी टीम को 8 भागो में विभाजित कर दिया गया |टीम को काम ये करना हे की अपने पिछली जाहिर सभा के बाद जो काम किये है उसमें जिन कामो से आपको आगे और काम करने की ऊर्जा मिलती हो ऐसे काम की टीम में चर्चा करे और उस काम में आपको मिल रही ऊर्जा क्या है उसे पहेंचान कर उस ऊर्जा को पूरी टीम मिल कर एक ज़ल्की के रूपमें प्रस्तृत करे |

पिछली जाहिर सभा की रिपोर्ट : Annexure 1
इस सत्र में पिछली जाहिर सभा में जो कार्य दिये गये उन्हे आशा जी द्वारा बताया गया।

पिछली जाहेरसभा को ध्यान में रखते हुए युनिट के अपने अनुभव |

हर यूनिट ने अपनी अपनी बार बताई की हमनें किस तरह से अपने काम में पिछली जाहेर सभाकी बातोंको,सिध्धांतो को ध्यान में रखा है |

क्रम	यूनिट	अनुभव
१	**एम.पी.**	*__भोपाल__ सामूहिक मुद्दों का आवेदन करवाया और कावस्लोटर मुद्दे पे पी.आई.एल. के रूप में तैयार किया और अपने काम में शामिल किया । * पैरालीग के लिए आवेदन कराये गए थे	हमारे प्रयास के बाद डी.एल.एस.ए में पैरालीगल की नियुक्ती की गई हैं और उनको पत्र देकर थाणे प्रदान किये गए हैं। *__सागर__ भूमि और मानव अधिकारो के संबंध में पी.आई.एल की तैयारी चल रही है। *__छतरपुर__ क़ानूनी जागृति का कार्य किया जा रहां है	तथा लोगों को क़ानूनी मदद प्रदान की जा रही है | * __कटनी__ विधिक सेवा व सी.एस.एम.के संयुक्त रूपशिबर लगाया और पी.आई.एल.के लिए काम किया जा रहा हैं। हमारे यहा दो नदिया जिन पर अतिक्रमण हो रहा है। उस संबंध में १० पत्र संबंधित विभागों को लिखे गए है। तथा स्टॉप डेम तथा अतिक्रमण रोकने हेतु पी.आई.एल.की तैयारी की जा रही है | * समाज में सुधार क़ानूनी मदद के पूर्व दहेज़प्रथा को मिटानेके लिए सामाजिक स्तरपर जागरूकता की आवश्यकता है	
२	**गुजरात**	कोस्टल प्रोग्राम अरविन्द जी ने कहा कि समुद्ध किनारे के क्षेत्र और पर्यावरण को ध्यान में रखकर कार्य किया हें	और संस्थाके आठ सिध्धांतोको सामने रखकरके आगे बढ़ाया है	
३	**छतीसगढ़**	थर्मल प्लांट में लेबर तथा रेल्वे के सफाई कामदार के मुद्दे तथा भूमि अतिक्रमण के मुद्दे पर पी.आई.एल की तैयारी की जा रही है	 लोकसेवा गारंटी एक्टके विषय पर आर.टी.आई लगाई जिसके पश्चात् ९ महीने बाद आर.टी.आईकी जानकारी प्रदान नहींकी है	पी.आई.एल लगानी है	

नए कानून की जानकारी : Annexure 2 जजमेंट

हम जिन मुद्दों पे काम कर रहे हें उनपे आये हुए नए नए जजमेंट की जानकारी दी गई | जिसमें जमीन,कामदार,विक्लांग,माइनिंग,थर्डजेंडर,माइनोरिटी,दरियाकिनारे के प्रश्नों इत्यादि के बारेमें बताया गया |

जजमेंट की जानकारी के बाद उसके मुताबिक केस युनिट के ध्यान में आये है और उन्होंने उसमें कुछ काम किया है ऐसे केस की जानकारीभी लोगोंने दी | **Annexure 3 युनिट की रजुआत**

१७ मई २०१४

दिन २ गतिविधि-१

हेतु : इस गतिविधि का उद्देश्य था नेतृत्व | नेतृत्व से जुडी हुई सभी प्रक्रिया को समाज ने के लिए ये गतिविधि महत्वपूर्ण है |

शीख: हमारी धारणायों की छबि यहाँ दिखाई दी है | की समाजमें रंगोली जैसा रचनात्मक काम पुरुष नहीं, महिलाही कर सकती है | दुसरायेंकी आज करे सो अबकर की मानसिकता महिलामें दिखाई दी | बिना अनुभवके भी काम की शुरुआत हो सकती है | हमनें देखाकि स्पष्टा और भागीदारी से काम आसन और सही होता है उल्टा स्पष्टा और भागीदारी के अभावमें काम में समय का व्यय और मुश्किले बढती है | इन सारी शीखोकों ध्यान में रखते हुए अपने कार्य में उपयोग कर सकते है |

गतिविधि २ (१) व्यक्तिगत (२) टीम/यूनिट

१,मुद्दे के उच्चार स्पष्ट,सीमित,Reachable

२, क्या परिस्थिति थी (सामाजिक राजनिति आदि) ?

३, क्या बदलना था–1 तत्र 2 सत्ता के संबंध 3 जानकारी के स्तर 4 नीति 5 प्रक्रिया 6 अन्य

४, क्या गति विधि थी ?

५, कौनसी गतिविधि असरकारक रही और क्यों ?

७, उसकी वजह से क्या बदला ?

८, बदलाव को व्यापक स्वरूप देने के लिए क्या करना चाहिए ?

९, व्यूह रचना में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे असर कारकता बठे।

१०, बदली परिस्थिति में मुद्दे का पुनः उच्चार

(१) व्यक्तिगत

१) नालसा की पेरालीगल योजना का अमलीकारन |२) सैनिक छावणी हेतु भूमि अधिकार्मण ३) डांग डिस्ट्रीकट में वन मजदुरो को पूरा और समय पर वेतन मिलें | ४) ओमनगर में सड़क और नाली की परेशानी | ५)विस्थापन मुद्दे आदिवासी | ६) इन्दिरा,राजीव,आवास भुगतान | ७)टोहनीप्रताड़ना | ८) ८०-८१ के दोरान दिए गए पटटे वन विभागने छीन लिए है वो वापस करवाना | ९) जिनको पटटे नहीं मिले उनकी पहचान करना | १०) बलात्कार का प्रश्न | ११) मतदान सूचि में नाम लिखवाना | १२) बाजार अतिक्रमण हटानें में छोटे दुकानदारी और ठेलें वालेका दूसरा इंतजाम नहीं किया | १३) डोमेस्टिक वयोलंस | १४) स्त्री मिल्कत मलिकी | १५) विस्थापन | १६) कोयला माइनिंग पुनःवसन नीति का अमलीकरन | १७) भूमि अधिग्रहण एवं पुनःवसन | १८) दलित नाबालिक लडकियों का अपहरण और बलात्कार मामलें | १९) आदिवासीय पट्टों को दिलवाना | २०) दरिया किनारे के लोंगो के विस्थापन के अधिकार | २१) मुलभुत जरूरियात के अधिकार को दिलाना | २२)विधवा और वृध्दा पेन्सेन मुद्दे | २३) मनरेगा तहत मजदूरी प्रदान करवाना | २४) न्याय पंचायत कानून को एक्टिव करवाना |

(२) टीम/यूनिट

क्रम	जिल्ला	मुद्दा
१	एमपी	*मामला है नगर निगम सीमा कटनी के जागर पुलिया से रंगनाय मंदिर तक 117 लोगो को मार्ग के बाजू मे अतिक्रमण कारी मानकर लोगो के मकान तोडकर इनको हटाने का नोटिस नगर निगम द्वारा दिये गये। जिससे कुछ लोग **आवासहीन हो जायेगे** | *आवेदक से भरण पोषण राशि प्राप्त कर आवेदिका को दिलाना था।
२	रेहनुमा	***कोम्युनल वयोलननसं आसाम रायट्स,स्कोलरशीप–एज्युकेशन,बी.पी.एल कार्ड,न्यायिका,प्रीमेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक स्कोलरशीप |**
३	छतीसगढ़	*राज्य में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति अधिनियमों के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जाना। *भूमि अधिग्रहण एवं पुर्नावास
४	गुजरात	**जेटी निर्माणसे माछीमारी काम में जुड़े लोगोंके लाइवलीहुड के अधिकारों का रक्षण करना |**

यूनिटको हालमें जो मुद्दे सामने आये है उसीको ध्यान में रखते हुये गतिविधि में दर्शाया है |

Annexure 4 गतिविधि के मुताबिक टीम की रजुआत

क्षमतावर्धन कार्यक्रम

संस्था में क्षमतावर्धन कार्यक्रम कैसे होगा उसके बारेमें बातकी |संस्था मानती है की हर व्यक्ति की क्षमता बढ़नी चाहिए | और उसके लिए संस्था में होने वाले वर्कशॉप,तालीम,विगेरेका पुरेसालका प्लानिंग बना हुआ है | **Annexure 5 (Capacity Building Plan)**

१८ मई २०१४

दिन ३

MIS Format

सामाजिक न्याय केन्द्र की मोनिटरिंग इनफोर्मेसन सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर प्रवृति के मुताबिक उनकों मोंनिटर करने के लिए फोर्मेट है | कुल मिलाके 8 फोर्मेटको बारीकिसे समजाया गया और उसके बाद जो फोर्मेट टीम अपने विस्तारसे भरके लाये है उसको एक दुसरे की टीम को दिया गया | उसको देखके बताना था की वो भरनें में क्या कमियां रहगई है |

सबके फॉर्म को देखते हुये नीचे दी गई कमियां निकल के आई है |

१,मुद्दे सही ठंगसे लिखे नहीं है **२,**कई कोलम खाली छोड़े है **३,**कोलम आधे भरे होते है | **४,**हस्ताक्षर नहीं किये है | **५,**तारीख नहीं लिखी है | **६,**कोर्डिनेटर के हस्ताक्षर नहीं होते है | **७,**किसे मिले हें वो माहिती आधी होती है | **८,**मुद्दा और अधिकारी से मिलना या मुद्दा और गावं में दी गई माहितीका मेलजोल ना होना इत्यादि कमियां फॉर्म में देखी गई है | ये सारी कमियों को ध्यान में रखते हुए हम सबको ये बाते ध्यान में रखनी होगी | **Annexure 6 MIS Format**

सामाजिक न्याय की वकीलात के बारे में बात करते हुए नूपुरबेनने शुरु से लेके आजतक किये हुए काम के बारेमें संक्षिप्त में बताया की कैसे हमने सामाजिक न्याय को लेके काम किया है | इस बातको आगे दोहराते हुए ये कहाकि नलसा की रुपरेखा के अनुसार हमको १ सर्वे करना है जिसमें वकील,पेरालीगल और अरजदार से इन्टरव्यु करना है | उसकी प्रश्नावली हम सबको भेजी जाएगी |

निर्णय

१, **MIS** के संदर्भ में नाजिम के पास से माहिती लेके सीमा बेन लेके अनुराधाजी को देंगे | (दिन १०में)

२,हर यूनिट में कौन किसको जवाबदार हें ,कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके निर्णय को

ओवररुल नहीं कर सकता ये साडी बातें साथमें बैठके समजलो और जहाँ पर भी समज नहीं हे वहांपे एक समान समज बनालो ताकि बाद में कम करने में मुश्किलें ना आयें |

३,दूसरी बात उन्होंने बताई संस्थामें जातीय सतामनी का कोई बनाव होता है तो गायत्री,आशाजी,दामिनी,और अनुराधाजी से आप उनके बारेमें बात करे | इन लोंगोकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलोंकी सही तरीकेसे जाचँ करे के दरमियानगिरी करे |

४,रेपिस्ट के परिवारके दृष्टीकोण से |

बलात्कारी तो जेल में चला गया,लेकिन उसके परिवार के दुसरे सभ्यों का क्या दोष ? तो ऐसे मामलोमें परिवार वालों को हमें मदद करनी चाहिए या नहीं ? ऐसे मामलोमें संस्था कोई मदद नहीं कर सकती,क्योंकि हम पीड़ित के पक्षमें उनके हक्कके लिए लड़ है तो एसी स्थितिमें गुन्हेगार के परिवार को मदद करे तो हमारी विश्वसनीयता पे सवाल हो सकता है | तो ऐसे मामलोंमें हम उन परिवार को कोई मदद नहीं कर सकते |

Annexure 1 पिछली जाहेर सभा की रिपोर्ट

रपट
जाहिर सभा 16 से 20 जनवरी 2014

समाजिक न्याय केन्द्र अहमदाबाद

चार रणनीतियां

चार कोनों में अलग अलग कार्डस लगाए –

- कानूनी जागरूकता
- कानूनी सेवाएं प्रदान करना
- कानून में बदलाव/लोक पैरवी
- वैकल्पिक तकरार निवारण

- सबसे अधिक (23)लोगों को लगता है उनकी भूमिका कानूनी जागरूकता फैलाने में है।
- 12 लोगों ने अपनी भूमिका कानूनी सेवा प्रदान करने में ।
- 13 लोगों ने अपनी भूमिका कानून में बदलाव में पहचानी।
- वैकल्पिक तकरार निवारण में केवल 4 लोगों ने अपने आपको देखा।

उपर बताए चार समूहों को अलग अलग गतिविधि से सामाजिक न्याय केन्द्र के काम को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया।

- समूह 1 को नाटक द्वारा
- समूह 2 को कोलाज़ द्वारा
- समूह 3 को गीत द्वारा और
- सूमह 4 को पॉवर पॉइंट प्रेज़ेन्टेषन द्वारा प्रस्तुत करने के लिए कहा॰या।
- इसके साथ ही सेन्ट्रल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्र – छात्राओं के भी 4 समूह बनाए गए और उन्हें सामाजिक न्याय केन्द्र जैसी संस्था से उनकी कोई 10 अपेक्षाएं बताने को कहा गया।

आठ सिद्धान्त

- **सह नेतृत्व की जगह तैयार करना** – समुदाय में नेतृत्व तैयार हों।
- **गांव से नीति तक संबंध** – जिन नीतियों पर काम किया है। उन पर पूरी गंभीरता से काम करना।
- **हक उपलब्धि** –क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला?
- **सम्पूर्णतापूर्वक प्रहार** –सभी के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करना।
- **हितधारक संकलन करना**
- प्रतिरोध ,सामंजस्य , नेटवर्किंग, सहकारिता, सहभागिता, सामूहिकता
- **कानूनी क्षमतावर्धन** – तंत्र और समूहों का मानव अधिकार के मुददों पर
- **असील मंच बनाना –** इस मंच के माध्यम से अलग अलग मुददों पर केन्द्रित कानूनी संघर्ष को साझा किया जा सके।
- **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)** – की योजनाओं के अमल के लिए काम करना। न्याय तक पहुंच का अभियान।

भविष्य के 5 बदलावों पर सवाल

आप क्या तैयारी करेंगे? क्या असर होगा?
नए बदलाव हो सकते हैं?

बदलाव

- आय की असमानता।
- पानी के लिए विवाद।
- जंतुओं और पौधों की विषिष्ट जातियों का विलुप्त होना।
- मनुष्य की औसत आयु में बढ़ोतरी।
- पहचान पर केन्द्रित विवाद।

नई परिस्थितियों का सामना कैसे करेंगे ?

- पर्यावरण संरक्षण के लिए
- जल संरक्षण के लिए कार्य
- वंचित वर्ग के लिए ज़्यादा काम
- सभी के संवैधानिक अधिकार के लिए काम करना
- जेन्डर समानता के लिए काम करना आदि .....

दलित अधिकार,ग्लोबलाइज़ेषन और भूमि अधिग्रहण के मुददों पर किए जा रहे कार्यों पर केन्द्रित रहा।

- **दलित अधिकार और आंदोलन**

मार्टिन मकवान ने दलित अधिकार और बदलाव पर किए जारहे कार्यों के अनुभव, आंदोलन की ज़रूरत, इतिहास मनुस्मृति

- **वैष्वीकरण और उसका ग़रीबों पर प्रभाव**

प्रोफेसर **संदीप ,**गरीबों की कैटेगरी बदल गई है।खास तबके को फायदा, असमानता की जड़ें गहरी हुई हैं, ज़मीन पर हक भी प्रभावित हुआ है, आदिवासियों की ज़मीन वैष्विकाण के कारण ही जा रही है

- **ज़मीन अधिकार आंदोलन –**

आंदोलन की सदस्य **पर्सिस** गरीबों,आदिवासियों,दलितों से ज़मीनें छीनी जा रही हैं।गोचर ज़मीन को पड़त ज़मीन में बदल कर उद्योगपतियों को दी जा रही है।

खेल सत्र

उददेष्य – जो लोग षारीरिक रूप से अक्षम होते हैं । उन्हें अपनी जगह हासिल करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी ओर जो लोग षारीरिक रूप से अक्षम नहीं हैं वे इनकी परवाह किए बगैर अपनी जगह सुरक्षित कर लेते हैं। जिसकी वजह से अक्षम लोग प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। अतः इन्हें समान स्तर पर लाने के लिए सरकार अलग कानून और योजनाएं बनाती है।

सी एस जे की कार्य प्रणाली

- कानूनी जागरूकता,विधिक सेवा,वैकल्पिक तकरार निवारण और कानून में बदलाव कार्यषैली /दरम्यानगिरी के मुख्य आधार हैं।
- इस नीतिगत बदलाव में हम असफल होते हैं सफलता ही मानी जाएगी। सी एस जे के माध्यम से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण की रकम बढ़वाने में सफलता।
- इसके साथ साथ नीचे बताए काम किए जा रहे हैं –
- सरकारी योजना को हक कैसे बनाएं ?
- हर पैरालीगल और वकील का क्षमतावर्धन करने का प्रयास?
- नालसा की निषुल्क कानूनी सेवाओं में यदि वास्तव में इसका उपयोग हो तो 80 प्रतिषत केस प्राइवेट वकीलों के पास नहीं जाएंगे।

समूह कार्य

- दो मूल्य जिन पर समूह समझौता नहीं कर सकता ?
- दो मूल्य होंगे जिन पर प्रेक्टिस करने और उसके लिए सिस्टम बनाने की तरफ समूह बढ़ रहा है ?
- नई परिस्थितियों में दो चीजैं हम बंद कर देंगे ?
- कौन सी दो पद्धतियों को हम बदलेंगे ?

  कौन से दो नए काम करने की समझ बनाएंगे ?
- 8 सिद्धान्तों/घटकों को अपने कार्य में उपयोग होता दिखा सकेंगे ?

फीड बैक

- कौन सी एक बात है जो आपको दमदार लगी ?
- एक मुष्किल सवाल पूछें जो उन्हें सोच में डाल दे ?
- एक सीख है जिसे आप अपने प्लान में लेने की ज़रूरत समढते हैं ?
- हर राज्य को / कार्यक्रम की पिछले एक साल के कार्य की अपने क्षेत्र में असरकारक होने के तीन मापदंड/दृष्टांत/उद्धरण के साथ प्रस्तुति की गई।

Annexure 2 जजमेंट

Arjun

1. Pune Municipal Corporation v. Harakchand Misrimal Solanki (24-1-2014)-**Case/Appeal No:** Civil Appeal No. 877-894 of 2014 **decided on 1/24/2014.**

2. Vinod Kumar v. State of Haryana (**Case/Appeal No:** Civil Appeal Nos. 973-974 of 2014, SLP(C) Nos. 14383-14384 of 2012) **decided on 1/28/2014.**

3. Threesiamma Jacob v. Geologist, Department of mining and Geology Civil Appeal Nos.4540-4548 of 2000, decided on July 8, 2013
4. Union of India v. National Federation of the Blind and Ors.CIVIL APPEAL NO.9096 OF 2013 decided on OCTOBER 08, 2013.
5. National Legal Services Authority v. Union of India WRIT PETITION (CIVIL) NO.400 OF 2012 decided on April 15, 2014.

Satyajeet

1. Mohd. Ahmed v. Union of India (High Court of Delhi) - W.P.(C) 7279/2013
2. Lalita Kumari v. Govt of Up (SC of India) - WRIT PETITION (CRIMINAL) NO. 68 OF 2008
3. THE PROHIBITION OF EMPLOYMENT AS MANUAL SCAVENGERS AND THEIR REHABILITATION BILL, 2013
4. Central Information Commission v. Political Parties
5. Cooperative societies do not fal within the ambit of the RTI Act - Thalappalam बी Ser.Coop.Bank Ltd.& ... vs State Of Kerala & Ors on 7 October, 2013 CIVIL APPEAL NO. 9017 OF 2013

Tanya Minority

Minority RTS- case law

Mohanid hasan UI lwp 155 / 2013
Shobnam hashami UOI 470 / 2005
Seemabagam v/s 75889 /2013
State v/s woseer
State v/s hasim HC
Pravesi playan sangathor v/s Ashok Debarina Supreme court

Johana ---COASTAL CASES FOR JAHER SABHA

I. Vaamika Island (Green Lagoon Resort) v Union of India (2013) 8 SCC 760
II. Republic of Italy & Others and Massimilano Latorre & Others v Union of India and other respondents (AIR 2013 SCW 836 =2013 (1) KLT 367 SC)
III. Sterlite Industries (India) Ltd. v Union of India & Ors CIVIL APPEAL Nos. 2776-2783 OF 2013 (Arising out of SLP (C) Nos. 28116-28123 of 2010)

IV. Madras High Court judgement on protection of Indian fishermen from the Sri Lankan Navy (unable to access text of the judgement)
V. Paryavaran Suraksha Samiti PIL (unable to access text of the judgement)

Annexure 3 युनिट की रजुआत

केस स्टडी

पोलिस प्रकिया (कार्तिके)

म.प्र. में छोटे प्रकरण में पुलिस कार्यवाही करने से बचने के लिऐ सी.आर.पी.सी. की धारा 154 स्थान पर 155 की कार्यवाही करती है जिसमे किसी के विरूध्द अपराध कायम न करते हुऐ कार्यवाही नही की जाती है। उक्त प्रकरण में फरियादी को सी.आर.पी.सी. 155 की प्रति प्रदान की जाती है जिससे लिखा जाता है कि 'पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध'।

स्टेट छत्तीसगढ़

जिला रायगठ ब्लाक तमनार ये एक ग्राम पंचायत लालपुर ग्राम बांझीखोल जिसमें करीब 60 परिवार है जिसमे 54 परिवार आदिवासियों के है। पिछडे वर्ग से 4 परिवार है जिनमें से करीब 45 परिवार के पास भूमि है। इस ग्राम में 2007 में जयसपालनिको उसा कोलमाइन्स हेतु 800 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु आवेदन किया जिसमें भू अर्जन के नियमों का पालन नही किया गया जिसमें निजी भू स्वामी हक के 52 हेक्टेयर भूमि बांझीखोल की है। और इसका लीज डिड होता है। पुर्नवास एवं विस्थापन के शर्तो का भी उल्लेख किया गया किन्तु पुर्नवास नितियों से बचने हेतु प्रक्रियाओं में हेर फेर किया गया। जिसमें सम्पति अंतरण नियम,सर्फिस राइट छत्तीसगठ भूरास्व संहिता और भू अर्जन के प्रावधानो की अनदेखी की गई। और शब्दो से हेर फेर कर कंपनी के द्धारा खन्नन अधिकार प्राप्त किया गया । इस अर्जन में कृषी क्षेत्र,आबादी भूमि ,निस्तार भूमि,व कुछ मात्रा में वन भूमि भी पूरी तरह से प्रभावित हो रही हैं लोग कंपनियों के अपराध के भी शिकार हो रहे है।

रेपकसे (एम,पी)

केसला ब्लाक एस.सी., एस.टी. कोम्युनिटी का एक केस था। जिसमे आदमी अपनी बीबी के साथ स्कूल गया और उसकी साली को उठा लाया जिसमे दोनो मीया बीबी सामिल थे उसको घसीटते ले आये और उसको एक रूम में बंद कर दीया और उसके साथ तीन दिन तक रेप कीया बाद में लडकी की मॉ ने कानुनी सखी गृह में बात रखी और उन्होने हमें बताया और हम उन लोगो से मिले। आदमी की पत्नी से मिले। एफ.आई.आर किया आदमी को गिरफतार करवाया एफ.आई.आर. 376 का केस हुआ ।

वफ्फकोर्ड

सागर जिले की खुराई तेहसील कब्रस्थान की जमीन जो एस.सी. लोगों को दिगई थी। एस. सी. लोग उनका उपयोग नही कर रहे है और वो जमीन मुस्लिम कब्रस्थान के **बिलकुल** पास में है। बिल्डर ने एस.सी. का जो कब्रस्थान था उसमें रास्ता बना लिया जो रास्ता उनके बनाये हएु है उन घरो के लिये था कब्रस्थान कमिटि ने पैसे लेके बिल्डर को ये कब्रस्थान दे दिया। तो अब हम इसके लिये वफ्फकोर्ड में जाने की तैयारी कर रहे है।

Annexure 4 गतिविधि के मुताबिक टीम की रजुआत

नं-१ एमपी

मुद्दे का उच्चार–मामला है नगर निगम सीमा कटनी के जागर पुलिया से रंगनाय मंदिर तक 117 लोगो को मार्ग के बाजू मे अतिक्रमण कारी मानकर लोगो के मकान तोडकर इनको हटाने का नोटिस नगर निगम द्धारा दिये गये। जिससे कुछ लोग द्धावासहीन हो जाऐगें उनके पुनर्वास की भी कोई व्यवस्था नही की गई।

क्या परिस्थिति थी–उपरोक्त लोगो को जारी नोटिस उनका निवास लगभग 70 वर्ष पूर्व से होने से उनको अचानक हटाने संबंधी उनको भयभीत करने वाला तथा उनको अत्यंत दयवीय परिस्थिति मे डालने वाला था।

क्या बदलना था–न्गरपालिका निगम एवं नजूल विभाग द्धारा उपरोक्त लोगो द्धारा 70 वर्षो से उक्त भूमि पर निवासरत रहने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने की कोई अवसर नही दिया जा रहा था आर.आई.टी. से कटनी के प्रमुख रास्तो की मांग की गई । चूंकि इस विस्थापन को रोकने के लिये तथा उस जगह की आश्यकता की वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी।

सता–स्थानीय सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों द्धारा भी इस ओर ध्यान आकर्षक कराने पर भी जवाव नही दिया गया।

जानकारी का स्तर–नोटिस प्राप्ति होने पर स्थानीय तंत्र से वैकल्पिक आवास व्यवस्था की जानकारी प्राम्त की।

नीति– नगर निगम को लोगो के 70 वर्षो से आवास संबंधी जानकारी दस्तावेज प्राप्त कर पुनर्वास व हर्जाना राशि देकर इनको पुर्नस्थापन किया जाना था।

प्रक्रिया– संबंधित अधिकारीयों को पहले उपरोक्त क्षेत्र का सर्वे कराकर नोटिस वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी।

क्या गतिविधी की–

स्थानीय लोगो से मिलकर इस मुद्दे पर पूर्ण स्थानीय लोगो से मिलकर इस मुद्दे पर पूर्ण जानकारी ला तथा आर.आई.टी. से विषय विशेष से संबंधित विभागो से जानकारी ली तथा पी. आई.एल. के लिऐ लोगो को तैयार किया।

कौनसी गतिविधि असरकारक रही और क्यों–

जब हम लोगो से मुलाकात की तथा बैठक की प्रशासन से मिले तब एक विधिक प्रकिया से समस्या का समाधान करने के लिऐ एक जोश भरी रिसपोंस लोगो से मिला।

बदलाव को व्यापक स्वरूप देने के लिऐ क्या करना चाहिऐ–

समाजसेवी संगठनो ,स्थानीय नेताओं से संपर्क करना चाहिऐ। प्रभावकारी तरीके से रखने के लिऐ तथा त्वररित कार्यवाही के लिऐ सुप्रिम कोर्ट से जमानत ओरडर लेना चाहिऐ।

बदली परिस्थिति में मुद्दे का उच्चार–

उपरोक्त मुद्दे मे पी.आई.आर. की तैयारी चल रही है। तथा नगर निगम व नजूल ने जनदबाव से अभी अपनी प्रक्रिया स्थिगित कर दी।

नं-२

मुद्दे का उच्चारः–

1 स्पष्ट :– हेमलता – आवेदिका
मूलचन्द – आवेदिका

प्रकरण धारा 125 (3) द.प्र. संहिता का है। प्रकरण आवेदक से भरण पोषण राशि प्राप्त कर आवेदिका को दिलाना था। उक्त प्रकरण लगभग 2 वर्ष से न्यायालय में लम्बित है। आज दिनांक तक आवेदिका को भरण पोषण राशि प्राप्त नही हुई है। व अधिवक्ता की फीस आवेदिका द्धारा ना देने से अधिवक्ता ने फाईल आवेदिका को वापिस कर दी थी। न्यायालय द्धारा मुझे सामाजिक न्याय के अधिवक्ता होने के नाते प्रकरण दिया गया सीमितः– भरण पोषण राशि यथाशीघ्र परित्याग पत्नि ,माता–पिता , विधवा पत्नि ,विधवा पुत्री को 100 प्रतिशत मिलना चाहिऐ । जो समय पर नही मिल रहा है। ना ही मिलने की उम्मीद है। हमारा उद्धदेश्य वंचित को 100 प्रतिशत व समय पर उपलब्द कराना है।

2क्या परिस्थिति थी– आवेदिका व उसकी तरह कई लगभग 100–150 प्रकरण केवल आवेदक की उपस्थिति हेतु न्यायालय में लंबित जिन पे वंचित वर्ग न्यायालय में चक्कर लगा रहे है। व अधिकारो के हानि करने वाले आजादी से घूम रहे है।

पुलिस चंद पैसा लेकर संमन हय टीप लगा कर वापिस कर देते है। कि आवेदक घर पर नही मिला स्टाफ न होने से संमन तामील नही हो पाया संमन आगामी पेशी के लिए पुनः भेजे।

3 क्या बदलना था ?

1 न्याय प्रशासन भेजे कारण बताओ नोटिस ।

2 पुलिस थाना द्धारा नोटिस तामील न होने की दशा में उच्च अधिकारी प्रतिवेदन तलब किया जाना चाहिए।

3 शासन को न्यायालय में लंबित इस प्रकार के मामलो की जानकारी प्राप्त करना चाहिऐ व ऐसे मामलो को शीघ्र निपटाने के लिए प्रभावित कदम उठाये जाऐ।

4 क्या गतिविधि की ?

न्यायालय में निवेदन किया गया की वंचित वर्ग कब तक इस तरह न्यायाय में केवल पेशी करते रहेगे। वंचित वर्ग जिस के लिये न्यायालय में आया है। वही उसके पास नही हैं। और उसी के बिना कोई अधिकारी प्रकरण में पैसी नही करता है। क्या वंचित वर्ग केवल पेशी करते रहेगें।

5 कौनसी गतिविधि असर कारक रही और क्यों ?

4 में वंचित बात को न्यायालय में कहने से न्यायालय ने वंचित को निःशुल्क नोटिस जारी करने का कदम उठाया । न्यायालय ने वंचित वर्ग की परेशानी को समझ कर न्यायालय ने ऐसा कदम उठाया

6 बदलाव के व्यापक स्वरूप देने के लिए क्या करना चाहिए ?

भरण पोषण मामलो में अतिशीघ्र सुनबाई की जाना चाहिए व समंन तामील के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए व दीवानी प्रकरण की तरह नोटिस चस्पा करने का प्रावधान होना चाहिऐ व खास मचाूरी द्धारा समंन तामील का प्रावधान होना चाहिए । इसके लिऐ सामाजिक न्याय के अधिवक्ता के नाते उच्च न्यायालय में याचिका दायर होना चाही एवं शासन को इस प्रावधान मे बदलाव बनाना चाहिऐ ।

7 व्यूह रचना में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे असर कारकता बढ़े ?

धारा 125 द.प्र.संहिता के प्रकरण को व्यक्तिगत मुद्दो के रूक में न देख कर सर्वजन तौर पर देखा जाना चाहिए क्यों की केवल सुरई न्यायालय में इस तरह के 50–100 मामले हैं । अर्थात सुरई में इतने मामले है तो सम्पूर्ण भारत में कितने मामले होगे। यदि इन मामलो मे

याचिका उच्च न्यायालय मे एवं शासन पर बदलाव डाला जाऐगा तो वंचित वर्ग को न्याल प्राप्त हो सकता है।

8 बदली परिस्थितियों में मुद्दे का पुनः उच्चार–

ब्दली परिस्थिति में वंचित वर्ग को शीघ्र न्याय प्राप्त होगा । संमन तामील ना होने की दशा में उसके घर पर नोटिस जारी काराया जा सकता है। व अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। जिससे वंचित वर्ग को समय सीमा में न्याय प्राप्त हो जावेगा।

विजेन्द्र वनपुरिया एड.सुरई जिला–सागर म.प्र

नं-३ ग्रुप रेहणूमा

1 कोम्यूनल वायोनाल्स – आसाम रायर्टस

2 स्कारशिप – **एज्युकेशन**

3 बी.पी.एल. कार्ड –

4 न्यायिका –

प्रीमेट्रिक एण्ड पोस्ट मेट्रिक स्कारशिप

मुद्दा का उच्चार–

भोपाल शहर में माइनारिटी स्कूल – मादरसा के बच्चों के लिऐ स्कालरशिप के अधिकारो सुरक्षित करना । (15 सुत्री कार्यक्रम के तहत)

क्या परिस्थिति थी ?

जानकारी का आभाव स्क्रीन प्रक्रिया मे दिक्कते

संस्था की यह परिपाति वर्ताव छोटे–छोटे कारण से अरबीया जो रिजेल्ट भरते हैं।

अमलीकरण मे दिक्कते करना

क्या बदलना था ?

तंत्र – स्पेशियल आफिसर के नियुक्ति

सता के संबंध – तंत्र को संवेदशील स्कूल बी.ई.ओ. – डी.ई.ओ. आदिम जाति कल्याण विभाग – जानकारी का आभाव था। बहुत कम लोगो मे जानकारी थी प्रक्रिया को आसान करना भोपाल बारसा जानकारी को उपलब्ध करवाना । निति– क्योटा जरूरत के हिसाब से होना चाहिए । प्रक्रिया में लचीला पन नही था ।

क्या गति विधि थी ?

अवरनेस प्रोग्राम कराये ,सामूहिक और व्यक्तिगत आवेदन कराये गये , आर.टी.आई. अरजियां , सर्वे एण्ड डेटा कलेक्शन , स्टेट होल्डर , आफिसरस मिलसार , सामूहिक हस्ताक्षर

कौनसी गति विधि असर कारक ?

आर.टी.आई. आवेदन से जानकारी की मांग की ,संवेदनशीलता बरताव मे बदलाव आया ।

उसकी वजह से क्या बदला ?

हीतधारको की संख्या बढ़ी ,हीतधारको का ज्ञान अधिकार के प्रति बढ़ा ,

बदलाव का व्यापक स्वरूप ?

ज्यादा से ज्यादा हित धारको को आवेदन करवाया जिसे क्योटा को बठाना, कमिटी/नोडेल आफिसर को असरकारक करना (ब्लाक और नोडेल आफिसर को संवेदशील और असर कारक करना ।

व्यूहरचना ?

इम्प्लीमेनटेशन नही हो रहा हो तो पी.आई.एल. की तैयारी करना, ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना , सारे आवेदन ग्रांड करवाना , प्रक्रिया को आसान करना , अच्छे कार्यो को प्रोत्साहित करना (स्कूल के संबंध) , फंड / क्वोटा को चेक करना ।

५) छतीसगढ़

1 कानूनी मुद्दे का उच्चारः—छ0ग0 राज्य में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति अधिनियमों के तहत पुलिस प्रशासन द्वारा अपराध पंजीबद्ध नहीं किया जाना।

अ स्पष्ट :— 1 राज्यं शासन, के शासको द्वारा उक्त अधिनियमों के तहत अपराध पंजीबद्ध कराने हेतु साफ नियत नहीं दिखाई देती है।

2 राज्य सरकार द्वारा जाति व्यवस्था को सही ठहराते हुए एक विशेष वर्गों को छोड़कर अन्य समुदायों को प्रोत्साहित करने की भावना से कार्य करना।

ब सीमितः— जब तक कानूनी हस्तक्षेप सामाजिक संगठन एनजीओ, मीडिया के द्वारा होने पर ही उक्त अधिनियमों के तहत कार्यवाही किया जाता है।

स पहुॅच :— 1 ग्रामीण दलित आदिवासियों को कानूनी जानकारी का अभाव ।

2 आर्थिक , सामाजिक स्थिति ठीक न होना।

2 क्या परिस्थिति थी :— हमारे हस्तक्षेप के पहले पुलिस द्वारा आई. पी. सी. के धाराओं के तहत अपराध तो पंजीबद्ध तो कर लिया जाता है परन्तु उसमें एस सी /एस टी एक्ट के तहत लगने वाले धाराओं को नहीं लगाया जाता था।

3 क्या बदलना था :—

अ तंत्र :— नहीं

ब सत्ता का सम्बन्ध :— स्थानीय नेताओं द्वारा अन्य समुदाय ओ बी सी सत्ता के ज्यादा करीब होने के कारण उसका प्रभाव प्रशासन में ज्यादातर देखने को मिला है।

स जानकारी का स्तर :— जानकारी के स्तर में बदलाव की आवश्यकता है ।जानकारी नहीं होने के कारण इस वर्ग के लोगों को इस अधिनियम का लाभ नहीं मिल पाता ।

द नीति :— कानून की दायरे में कार्य करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करना।

ई प्रक्रिया :— घटना से सम्बन्धित जानकारी एकत्र, सम्बन्धित विभाग के अधिकारी को आवेदन करना, मीडिया का इस्तेमाल करना, दबाव समूह तैयार करना, लगातार उसका फालो अप करना आदि।

क्या गतिविधि कीः— 1 राष्टिय मानव अधिकार आयोग को आवेदन।

2 राष्टिय महिला आयोग को आवेदन।

3 राष्टिय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति को आवेदन ।

4 पुलिस महानिर्देशक को आवेदन।

5 एस पी / डी एस पी को आवेदन।

6 राज्य अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग।

7 कोर्ट में सीधे परिवाद लगाकर।

5 कौन सी गतिविधि असरकारक रही और क्यों :– राष्टिय महिला आयोग, पुलिस महानिर्देशक, और कलेक्टर को दिया गया आवेदन । जिसके कारण एस पी, ए एस पी एवं थाना प्रभारी द्वारा तत्दकाल प्रभाव में आकर मामलों मे रूची दिखातें हुए आरोपियों का गिरफतारी की गई एवं एस सी /एस टी एक्ट के तहात कार्यवाही की गई।

6 उसकी वजह से क्या बदला :– अ एफ आई आर में एस सी /एस टी एक्ट की जुड़ने लगी ।

ब पीड़िता को क्षतिपूर्ति राशि मिलने लगा।

7 बदलाव को व्यापक रूप देने के लिए क्या करना चाहिए :–

अ आर टी आई

ब परिवाद

स एफ आई आर की कापी को एकत्रित करना।

8 व्यूह रचना में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे असरकारकता बढ़ेः–

अ पी आई एल

9 बदली परिस्थितियों में मुददे का पुनः उच्चार :– अ सामाजिक जन जागरण

ब पुर्नावास

स अपराधियों को सजा दिलवाया जाना

द शासन प्रशासन को मोटीवेट करना ।

मुददे का उच्चार :– भूमि अधिग्रहण एवं पुर्नावास

अ स्पष्ट :– कोल माईनिंग / पुर्नावास नीति के तहत 2006 से 2008 के तहत पुर्नावास नीति और विस्थापन शर्तो का का पालन एवं अम्लीकरण ।

ब सीमित :– राज्य स्तर पर ।

स पहुॅच :– उच्च न्यायालय में रिट दायर किया गया।

2 क्या परिस्थितिय थी :– हमारे हस्तक्षेप के पूर्व उत्खनन प्रारम्भ हो चुका था एवं उत्खनन आबादी की ओर बढ़ रहा था पुर्नावास नीतियों का पालन नहीं किया जा रहा था ।

3 क्या बदलना था

अ, तंत्र :– शासन प्रशासन की भूमिका में बदलाव एवं निजी क्षेत्र की भूमिका में बदलाव।

ब, सत्ता के सम्बन्ध ::– तहसीलदार , एस डी एम, कलेक्टर , माईनिंग ऑफिसर, भू–अर्जन अधिकारी को जवाबदेह बनाना एवं कार्यो का पारर्दशी बनाना।

स, जानकारी का स्तर :– कार्यवाही सम्बन्धित दस्तावेज व अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी गॉव वालों के निःशुल्क वितरित किया गया।

द,नीति :– 1 पुर्नावास एवं विस्थापन नीति में बदलाव अधिकार से ज्यादा जमीन अधिग्रहण करने पर दण्डित कार्यवाही होना चाहिए

2 सुप्रीम कोर्ट की गाईड लाईन को इस कानून में शामिल किया जाना ।

ई प्रक्रिया :–

1 भू क्षेत्र के सर्वेक्षण आवेदन के समय से ही जमीन का क्रय विक्रय पर प्रतिबंध करना ।

2 प्रभावितों के नाम के बैंक खाते और चैक शासन के माध्यम से दिया जाना चाहिए न की कम्पनी के द्वारा ।

ए अन्य :– विशेषज्ञों से सलाह मसवरा विशेषज्ञाओं की नियुक्ति भूअर्जन विभागों में की जावें।

4 क्या गतिविधि की :– टेनिंग , बैठक ग्रामीण सरपंच सचिव व पटवारी एवं दस्तावेजी करण, आर टी आई

5 कौन सी गतिविधि असरकारक रही और क्योः– आर टी आई, विस्थापित भूस्वामीयों की नाम की सूची, पूर्नावास किस कानून के तहत कितना मुआवजा दिया गया ।

6 उसकी जगह क्या बदला :– अ हाई कोर्ट से स्टे मिला।

ब ग्रामीण अपने हक की मॉग स्वयं करने लगे

स आर टी आई करने लगे।

द पेशा कानून का उपयोग करने लगे

इ जिला पुर्नावास समिति को दिशा निर्देश करने लगे।

7 बदलाव को व्यापक स्वरूप देने के लिए क्या करना चाहिएः– 1 सरकार द्वारा पारित कानून की बुक जी ओ / एन जी ओ को आम जनता में निःशुल्क वितरित करना चाहिए डामा

कम्पनी लोकगीत, इत्यादि के माध्यम से आम जनता को जागरूक करना व उनके अधिकारी की पहचान करवाना।

2 जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से हमने प्रभावितों को हक दिलवाया ह उनकी विस्तृत व सम्पूर्ण जानकारी देना जिससे वो स्वयं प्रक्रिया अपनाकर अपना अधिकार पा सके ।

8 व्यूह रचना में क्या बदलाव करना चाहिए जिससे असरकारकता बढ़े :– सारी सूचनाएं एकत्रितकर सम्पूर्णता पूर्वक प्रहार करना और यदि प्रक्रिया कम असरदार है तो परिस्थिति अनुसार उचित रणनीति अपनाते हुए व्यूह रचना करना

9 बदली परिस्थिति में मुद्दे का पुनः उच्चारण :– हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है कानूनी प्रक्रिया जारी है ।

कानूनी मार्ग दर्शन केन्द्र छ0ग0

गुजरात कोस्टलकार्य

દાનો ઉચ્ચાર (સ્પષ્ટ, સીમીત, રીચેબલ)	જેટીના નિર્માણથી માછીમારના લાઈવલી હુડ (જીવન નિર્વાહ– આજીવીકા)ના અધિકારો નુ રક્ષણ કરવુ.	
પરીસ્થીત શું હતી ?	– જેટી ન હોવાથી માછીમારોની આવકમા અસર થાય છે.(રોજગારી પર અસર) ૧૬ બંદર – માછીમાર મહીલા કામદારોને માછલી ઉતારવા માટે દરીયાના પાણીમા ઉતરવુ પડે છે. – જેટી ન હોવાથી માછીમારોનુ સ્થળાંતર થાય છે. જેથી તેના બાળકોના શિક્ષણ પર અસર થાય છે.	
	– કાયદા અને પોલીસીમા જવાબદારીનો અભાવ. – તંત્ર પાસે જેટી નિર્માણનુ ચોકકસ આયોજન નો અભાવ છે. – જેટી નિર્માણની જવાબદારી ૩ થી વધારે તંત્રો પાસે હોવાથી જવાબદારીનો અભાવ છે. – જેટી માટેના નિર્માણ માટેનુ ફંડ રાજય અને કેન્દ્ર સંયુકત ફંડથી થતુ હોય જેથી ફંડીંગના પ્રશ્નો છે.(ચોકકસ પોલીસીનો અભાવ છે.)	
શું બદલવુ હતુ ?	તંત્રમા શુ બદલાવ લાવવો હતો ?	– સાગર ખેડુ યોજના હેઠળનુ ફંડ માંગણી કરી – એન. આર. ઈ. જી.ઈ. હેઠળ જેટીને સમાવાય. – માછીમારોના જીવન નિર્વાહ માટે જેટીનુ મહત્વ મુદે સંવેદનશીલ કરવુ. – જેટીના મુદે ચોકકસ એક જવાબદાર તંત્ર સુનિચિત કરાવવુ. – જેટીના મુદે પોલીસીમા બદલાવ લાવવો.
	સત્તાના સબંધમા શુ બદલાવ લાવવો હતો ?	– કોળી, ખારવા, મુસ્લિમ, નાના માછીમારો, સક્ષમ માછીમારોને સાથે રાખી કામ કરવુ. – માછીમાર એસો. અને તંત્રના સબંધ. – અલગ ફિશરીઝ વિભાગ સ્થાપીત થાય. – ગુજરાત ફિશરીઝ ટર્મીનલ સત્તા મંડળને સક્રિય કરવુ, તેને વધારે ફંડ મળે. (ફિશરીઝ વિભાગ, કુષિ, અનીમલ એમ ત્રણ ભાગમા સત્તાનુ વિભાજન થયેલ છે.)
	જાણકારીના સ્તરમા વધારો કરવા શુ બદલવુ ?	– આર.ટી.આઈ. નો ઉપયોગ / ઈન્ટરનેટનો ઉપયોગ – જાગૃતિ કાર્યક્રમો.
	નિતિ	– જેટીના મુદે ચોકકસ એક જવાબદાર તંત્ર સુનિચિત કરાવવુ./ જેટી મુદે પોલીસી બને (ફંડ/તંત્ર)
	પ્રક્રિયા	– જેટીના મુદે ચોકકસ એક જવાબદાર તંત્ર સુનિચિત કરાવવુ./ જન જાગૃતિ કરી.
	અન્ય	–
કઈ ગતીવિધી કરી ?	– માછીમારો માટે જેટીન હોવાથી તેના જીવન નિર્વાહ પર અસરો બાબતે લોકોની સમજ કેળવી. – તંત્ર સમક્ષ માંગણી અરજીઓ કરી.....	

	– શિબીર/ તાલીમ/કેમ્પેઈન/ ફોલોઅપ આરટીઆઈ અરજીઓ કરી/ સ્વયમ સેવકો તૈયાર કર્યા . . . . . . – પત્રીકા પોષ્ટર, સુત્રો. – ટર્મીનલ સત્તા મંડળ મુદે આરટીઆઈ.	
કઈ ગતીવિધી અસરકાર રહી ? અને કેમ ?	– માછીમારો સબંધીત કાયદાઓમા જેટીના મુદે ચોકકસ જોગવાઈઓનો અભાવની મુદે લોક જાગૃતિ. કેમ કે લોકો રજુઆતો માટે તૈયાર થયા.	
તેનાથી શુ બદલ્યુ ?	– તંત્ર સુધી જેટીની ઠોસ માંગણીઓ પહોંચી. જેથી આ પ્રશ્ન તંત્રના ધ્યાને આવ્યો ?	
બદલાવ કો વ્યાપક સ્વરૂપ મે લાગુ કરને લીયે કયા કરના ચાહિએ. ?	– તમામ રજુઆતો, આરટીઆઈ, પ્રસનોટ એકત્ર કરી હાઈકોર્ટમા રીટથી જેટીનો મુદે કાર્યવાહી. –	
વ્યુહ રચનામા શુ બદલાવ કરવો જોઈએ કે જેનાથી અસરકારતા વધે.	–કાનુની જાગૃતિ અને લીગલ એડવોકેસી, કાનુની બદલાવની વ્યુહ રચના ને રચનાત્મક રીતે કરવી. –સ્વયમ સેવકો તૈયાર કરવા...	
મુદાનો પુનઃ વિચાર શુ છે ?		

Annexure 5 (Capacity Building Plan)

ANNUAL CB CALENDAR [APRIL 2014 TO MARCH 2015

MONTH	EVENT	MEANT FOR	RESPONSIBLE PERSON	TRAINER TEAM	BUDGET
MAY	GUJARAT TRAINER AND EXPERT RESOURCE POOL	NAMES GIVEN BY NYAYIKA, ROSHAN, ARVIND, PLUS 10 INVITED PEOPLE	NUPUR	NA	Rs 5000/
MAY	LFC CS 2	BATCH 2	ARJUN/NUPUR	GOW/PAYAL/IMRAN/	70,000/
MAY	JAHER SABHA	ALL CSJ	EACH THEMATIC HEAD ,	NUPUR SHVETA ANU ARJUN AND OTHERS	1.50, 000
June	Holistic paralegal training round 1	Open	ash		50,000
JUNE end	TOT	NAMES PROPOSED BY EACH THEMATIC AND SELECTED EX CSJ MEMBERS	NUPUR/ARJUN	NUPUR/ANU/ARJUN	70,000
JUNE	MP CG CS 2	FELLOWS	KHYATI	NUPUR/ANU PLUS	70.000
JUNE	GUJARAT CS 1	GUJARAT TEAM	ARJUN/NUPUR	NUPUR/ARJUN	30,000
JUNE	NATIONAL EVENT	NON AFFILIATED LAWYERS	KHYATI /NUPUR/tanya	EXTERNAL	2,00,000
JULY	LEARNING EVENT ON LAND RIGHTS	FIELD PRACTITIONERS	Damini/tanya	NUPUR/tanya	1,00,000
JULY	MP CG LOCAL EVENT	FELLOWS	KHYATI	EXTERNAL	5,000
JULY	Gujarat CS2		arjun		30,000
July	Lfc cs 3		Nupur arjun		70,000
July	General thematic event for lawyers and paralegals on minority rights	Open programme	Khyati	Robin /imran/rashida/tanya	70,000
August	Learning event for women's rights for young lawyers and paralegals	Open programme.lawyers will saty ona day extra	khyati	Payal/gow/plus plus	70,000

AUGUST	MP CSG CS 3	fellows	nupur	pool	70,000
August	Gujarat cs 3	fellows	arjun	pool	30,000
August	Holistic paralegal round 2		ash		50,000
September	Mp cg local	Fellows	khyati		5,000
	Gujarat local	fellows	arjun		5,000
September beginning	jahersabha	All	Nupur		1,20,000
September	Lfc cs 4		Nupur/arjun	pool	70,000
October	Mp cglocal		khyati		5000
October	Gujarat local		arjun		5000
Learning event on multiple legal interventions		Field practitioners	Khyati		70,000
november	National event	open programme	damini		6,00000
November	Mp cg cs 4		nupur		Covered above
november	Gujarat cs 4		arjun		Covered above
November end	Jaher sabha	The jahersabha will coincide with the national event and will continue for two days more	nupur		Covered above
november	Holistic paralegal round 3		ash		50,000
december	Mp cg local		khyati		5,000
december	Gujarat local		arjun		5,000
december	Learning event on dalit rights for young lawyers and paralegals	Open programme ..lawyers will saty ona day extra	ash	Shadab/kiran/	
Jan	Mp cg cs 5		nupur		70,000
Jan	Gujarat cs 5		arjun		30,000
Feb	Mp cg local		khyati		5,000
Feb	Jaher sabha		arjun		1,20,000

Annexure 6 MIS Format

1 प्राथमिक सूचना रिपोर्ट

यूनिट का नामः .....

तारीख और समय .....

सेंटर/कोर्ट केस नं. .....

1. आवेदक का नाम.....

उम्र..... षिक्षा.....

व्यवसाय/ बिज़नेस.....

जाति..... मासिक आय .....

आवेदक का पता.....

फोन नं.....

2. उत्तरदाता का नाम .....

उम्र ..... षिक्षा .....

व्यवसाय/बिज़नेस .....

जाति..... मासिक आय .....

उत्तरदाता का पता .....
फोन नं. .....

3. पार्टी की जातिः

पार्टी		
के द्वारा आवेदक	महिला	पुरूष
उत्तरदाता		

केस कहां से मिला :

1 एन जी ओ 4 स्वयं 7 केम्पेन 10 स्वयं सेवी / पैरालीगल

2 षासकीय संस्था 5 दोस्त/ 8 प्रकाषन 11 अन्य

3 हेडबिल 6 षिविर 9 याचिका

5 केस में किस प्रकार की मदद की गई –

- कानूनी सलाह : .....
- कानूनी मदद : समझौता , कोर्ट केस, नोटिस, कम्प्लेंट, अन्य

6 केस का प्रकार :

7 आवेदक के द्वारा उठाया गया कदम :

1 पत्राचार 2 आवेदन 3 पुलिस कम्प्लेंट 4 अदालती कार्यवाही 5 अन्य ।

8 पूर्व में किसी अन्य वकील से ली गई मदद या सलाह। (विस्तार में)

9 केस की विस्तृत जानकारी –

---

10 मैं/हम , अधोहस्ताक्षरकर्ता केन्द्र को हमारे पक्ष में किसी भीप्रकार की दखल /कानूनी दखल करने के लिए अधिकृत करते हैं। यदि केन्द्र ज़रूरी समझता है तो वह वकीलों या पैरालीगल के जरिए दखल कर सकता है। इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी पूरी तरह सत्य है। मेरे /हमारे द्वारा दी गई जानकरी बिना किसी दबाव या प्रभाव के दीगई है।

आवेदक के हस्ताक्षर .....
या बांए अंगूठे का निषान .....

जानकारी एकत्र करने वाले के हस्ताक्षर .....
वकील के हस्ताक्षरः .....

11 केस प्रक्रिया का नोट :

क्र.	दिनांक	प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी	ज़िम्मेदार व्यक्ति

नोट : आवेदक को बुलाने की अगली तारीख और समय ? क्या पहल की गई ? कोर्ट की तारीख़ ?

उपलब्धि : .....

2 कानूनी जागरूकता कार्यक्रम की रिपोर्ट

केन्द्र का नाम .....

शिविर की तारीख़ : ..... स्थान (गांव / स्थान).....

कार्यक्रम के दौरान उठाए गए सवाल और मुददे :

1. 2.

2. 4.

एम सी डी के उपस्थित सदस्य :

1. 2. 3. 4.

कार्यक्रम की अवधि : 1 घंटा/2 घंटे/3 घंटे/अधिक

कार्यक्रम में उपयोग किया गया माध्यम : टिक करें

1 समूह चर्चा	4 प्रकाषन	7. मीडिया वैन
2 पोस्टर्स	5 षेरी ड्रामा	8 व्याख्यान
3 पर्चे	6 ऑडियो /वीडियो कैसेट	9 अन्य

- कार्यक्रम के दौरान किस प्रकार के मुददों पर बात की गई ?

1 ..... 2 .....

3 ..... 4 .....

- केस :

केस का प्रकार									कुल	
	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.
1										

2										

- कितने केसेस में कानूनी सलाह दी गइ ?
- कितने केसेस में कानूनी मदद की गई ?
- कार्यक्रम के दौरान आई मुसीबतें ।

1 ..... 2 .....

3 ..... 4 .....

- उपस्थित लोगों की संख्या : महिला ..... पुरूष ..... कुल .....

- अनुभव : .....

---

3 हितग्राहियों के साथ समन्वय बैठक

तारीख़ : ..... समय .....

- क्या पहले से (संस्था /व्यक्ति को) सूचना दी गई थी ? (हां/नहीं)

1. उपस्थित सदस्यों का नाम : .....

2. कारण : .....

3.

नाम /संस्था का फोन नं (गांव/ब्लॉक/जिला)	किससे मिले ?	पद

4.चर्चा की संक्षिप्त रिपोर्ट : .....

---

4 चर्चा के बाद लिए गए निर्णय (ये निर्णय किन लक्ष्यों की पूर्ति करेंगे)

1 ..... 2 .....

3 ..... 4.....

5 .....6 .....

थ्वज़िट के दौरान उपयोग की गई सामग्री –

1 हैंडबिल 2 प्रकाषन 3 ब्रोषर 4 अन्य

7 आगे की कार्य योजना /रिमार्क .....
.....

विज़िट करने वाले सदस्यों के हस्ताक्षर

4 फील्ड इकाई की मासिक रिपोर्ट

रिपोर्टिंग ऑफिसर : **रिपोर्ट का माह/वर्ष .....**

रिपोर्ट की तारीख़ .....

इकाई का नाम : .....

1 माह के केस :

केसों की कुल संख्या :

क्र.	केस का प्रकार	मुस्लिम		सिक्ख/जैन		इसाई		बौद्ध/पारसी		कुल	
		म	पु	म	पु	म	पु	म	पु	म	पु
1	घरेलू हिंसा										
2	श्रम संबंधी										
3	भूमि/संपत्ति										
4	मानवअधिकार										
5	अन्य										
	कुल										

(1) केस का विस्तृत विवरण :

कुल केसों की संख्या	कानूनी सलाह	कानूनी सहायता	कोर्ट केस	पिछला कोर्ट केस	सुलझाए जा चुके केस

2 प्रषिक्षण

प्रशिक्षण संस्थान	प्रश्क्षिण का नाम	प्रशिक्षण का विषय	भाग लेने वाले सदस्य

कानूनी जागरूकता की रिपोर्ट –

क.	तारीख	स्थान जहां विज़िट किया गया	उपस्थित लोग		किस मुददे पर बात की गई ?	उपयोग किया गया माध्यम	प्रतिभागियों के नाम
			म	पु			

माध्यम –

1 व्यक्तिगत दौरा 5 अख़बार 9वीडियो कैसेट
2 अन्य साहित्य 6 दूरदर्षन 10 व्याख्यान
3 पोस्टर्स/चार्ट 7 रेडियो 11 चर्चा
4 हैंडबिल 8 ऑडियो कैसेट 12 अन्य

अषासकीय संस्थाओं में विज़िट –

दिनांक	स्थान	एन जीओं का नाम	विज़िट का कारण	फॉलो अप

ष्षासकीय कार्यालय में विज़िट :

दिनांक	स्थान	ष्षासकीय कार्यालय का नाम	विज़िट का कारण	फॉलो अप

अन्य कार्यक्रम :

दिनांक	स्थान	प्रतिभागी	विषय	आयोजक	रिमार्क

5 मासिक कार्य योजना प्रपत्र

एम सी डी इकाई का नाम : .....

माह :..... वर्ष : .....

बैठक की तारीख : .....

1. कोर्ट और काउंसलिंग की गतिविधि :

क्र.	तारीख़	केस का नं.		ज़िम्मेदार व्यक्ति	किस स्थिति /स्तर पर है ?
		केन्द्र के केस का नं.	कोर्ट केस का नं.		

2. गांव विज़िट,अषासकीय संस्थाओं में विज़िट, षासकीय कार्यालयों में विज़िट, षिविर, लॉ क्लिनिक, बैठकें आदि :

क्र.	तारीख़	स्थान	गतिविधि	भाग लेने वाले सदस्य

6 यात्रा व्यय प्रपत्र

एम सी डी केन्द्र का नाम :.....

नाम ..... माह ..... तारीख ..... से .....तारीख तक

तारीख	यात्रा ष्षुरू करने / समाप्ति का समय	विस्तृत विवरण	बस / जीप / ऑटो / स्कूटर	प्रारंभ में कि. मी.और अंत में कि.मी.	कुल कि. मी.	फील्ड मे कुल समय	टिक ट का खच	फील्ड अलाउन्स	कुल रू.

नोट : यदि पर्सनल गाड़ी का उपयोग की गई है तो 3 रू. प्रति कि.मी.,बस की टिकट लगाना अनिवार्य है।

एक दिन में केवल 8 घंटे का फील्ड समय ही माना जाएगा।

एडवांस में ली गई राषि रू. :..... कुल खर्चः .....

भुगतान की गई राषि .....षेष राषि .....

भुगतान की तारीख़ : ..... कोऑर्डीनेटर के हस्ताक्षर : .....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर :

७ Investigation in Human Rights Violations Report

फिल्ड इकाई का नाम : _____

1. किस प्रकार का मानव अधिकार के हननं की घटना : _____
   ___

2. पीड़ित व्यक्ति का नाम एवं पता : _____

3. घटना की जानकारी देनेवाले व्यक्ति का नाम और पता :_____

4. पीड़ित की उम्र: _____ घटना की तारीख : _____ घटनाका समय : _____

5. घटना स्थल: गावं _____ शहर _____

   तहसील _____ जिल्ला _____

6. घटना स्थल का विवरण: _____

7. घटना की संक्षिप्त में जानकारी : _____

   _____

   _____

8. घटना से समबन्धित दस्तावेज: (उपलभ्ध दस्तावेज के सामने ✓ लगाएं)

( ) एफ. आई. आर की कापी ( ) पंचनामा

( ) बयान की कापी ( ) प्रेस क्लिप

( ) पोस्ट मार्टम/ मेडिकल रिपोर्ट ( ) एफिदवित

9. यदि शिकायत दर्ज हो गई हो तो :

   पुलिस स्टेशन का नाम : _____

   एफ. आई आर नं : _____

   शिकायत दर्ज करने वाले अफसर का नाम और पद: _____

आरोपी सम्बंधित जानकारी **:**

1. आरोपी का नाम: _____

2. आरोपी का पता : _____

3. आरोप में साथ देने वालों के नाम (आरोपीगन): _____

4. अरोपिगन का पता : _____

5. पुलिस द्वारा लिए गये कदम : _____

6. संस्था द्वारा लिए गये कदम: _____

7. केस की वर्तमान स्थिति : _____

8. अन्य ज़रूरी सुचना : _____

_____

1. जांच के बाद क्या परिणाम हुए: _____

_____

संस्था द्वारा गये जांच टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर

8. गाँव मुलाकात पत्रक

दिनाक: समय:

गाँव का नाम : तहसील का नाम :

1. यूनिट के गये व्यक्ति का नाम **:**

2. गाँव में जाने का कारण **:**

3. गाँव में किस के मुलाकात हुई **:**

- ❑ सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष
- ❑ महिला मंडल की प्रतिनिधि
- ❑ पंचायत सचिव
- ❑ स्थानीय नेता
- ❑ युवक मंडल के नेता
- ❑ दलित बस्ती/ आदिवासी बस्ती
- ❑ अन्य

1. _____. 2. _____.

4. गाँव में मिले गये व्यक्ति के साथ यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं: हां..... या ना..... यदि हाँ तो कौनसे निर्णय लिए गये

1. _____. 2. _____.

3. _____. 4. _____.

5. क़ानूनी मुद्दे और गाँव की समस्याएं **(✓ करें)**

1. न्यूनत्तम वेतन
2. प्राथमिक स्वास्थ सुविध्हा सम्बंधित
3. वैवाहिक जीवन सम्बंधित मुद्दे
4. सिक्षा /पीने के पानी
5. सयुंक्त खेती से जुड़े मुद्दे
6.
7. दलित/ आदिवासी पर अत्याचार सम्बंधित
8. छुआ छूत
9. सामाजिक बहिष्कार
10. अन्य

6. इस गाँव में क़ानूनी जागरुकता के हेतु शिविर की आवशकता है? हाँ/ ना

7. यदि हाँ तो निचे दिए गये कोष्टक में सुचना दे.

तारीख (जो गांववालों से चर्चा के बाद ली गई तारीख)	समय	किस मुद्दे पर	शिविर आयोजित किस स्थल पर करना है.

८. गावं में सामाजिक न्याय के सम्बंधित कार्य में मदद रूप हो सके ऐसे व्यक्ति के नाम और फ़ोन न

गाँव मुलाकात लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर: _____